(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 20/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि........ (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 667 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“92क	1401	साल की पत्तियां, सियाली की पत्तियां, सीसल की पत्तियां, सबाई घास”;

(ii) क्रम संख्या 93क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“93ख	1404 90 90	वनास्पतिक सामग्री, झाडू या ब्रूम स्टिक के विनिर्माण के लिए”;

(iii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“102क	2306	तेल निष्कर्षित चावल-भूसी स्पष्टीकरण: यह छूट 25 जनवरी, 2018 से तेल निष्कर्षित चावल-भूसी पर लागू होती है जो कि शीर्ष 2306 के अंतर्गत आती है”;

(iv) क्रम संख्या 114 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:-

“114क	46	खाली दोना; साल की पत्तियों, सियाली की पत्तियों, सीसल की पत्तियों, सबाई घास से बनी वस्तुएं, जिनमें सबाई घास की रस्सी भी शामिल है
“114 ख	44 या 68	पत्थर, संगमरमर या लकड़ी से निर्मित देवी-देवताओं की मूर्तियां”;

(v) क्रम संख्या 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा:-

"117	48 या 4907 या 71	नोट रुपए या सिक्के जब इनको भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार को बेचा गया हो ";

(vi) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:-

"132क	53	कोयर पिथ कम्पोस्ट, उनसे भिन्न जो यूनिट कनटेनर में बंद हों और- (क) जिनका पंजीकृत ब्रांड नेम हों; या (ख) जिनका ऐसा ब्रांड नेम हो जिसके नाम से किसी विधि न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती हो या किसी अधिकार को लागू किया जा सकता हो [उनसे भिन्न जहां कि अनुबंध 1 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे ब्रांड नेम के नाम से किसी कार्रवाई या लागू किए जाने वाले अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(vii) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:-

"146क	9619 00 10 या 9619 00 20	सेनेटरी टावल्स (पैड्स) या सेनेटरी नेपकिन्स; टेम्पोन्स";

(viii) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:-

"152	अध्याय 71 को छोड़कर कोई भी अध्याय	राखी (उनसे भिन्न जो अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं से बनाई गई हों)"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी ।

(फाइल संख्या 354/255/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि.667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 8/2018- एकीकृत कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि 85 (अ.) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।